न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः 1208/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 442/2026

CNR No–UPGZ010027842026

फजलू उर्फ फजल मौ० पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम नाहल मौहल्ला मेढकान मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 59/2026

धारा 317(5),61(2)क BNS

थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद।

05–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **फजलू उर्फ फजल मौ०** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार फुरकान का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 05–02–2026 को समय करीब 12.35 बजे दोपहर वादी अपने बैंकिंग कार्य से अपनी स्कूटी एक्टिवा संख्या UP14BX 5586 से इंडियन बैंक मेरठ रोड पटेलनगर गाजियाबाद आया था जो कि उसने अपनी स्कूटी बैंक के बाहर सडक किनारे खडी की थी लगभग आधे घंटे बाद बाहर आकर देखा तो उसकी स्कूटी वहां पर नहीं थी, कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य तर्क यह दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया हैं। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है, जो बरामदगी दिखायी गयी हैं वह फर्जी व झूठी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जनता का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी हैं, परन्तु विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23–02–2026 से कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। इस स्तर पर जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.03.09 16:09:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त के द्वारा स्कूटी की चोरी की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा वादी की स्कूटी की चोरी किया जाना अभिकथित किया गया हैं। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के पास से कथित स्कूटी की बरामदगी संयुक्त रूप से दर्शित की गयी, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं हैं। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्त दिनांक 23–02–2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **फजलू उर्फ फजल मौ०** का जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 05–03–2026

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।